न्यायालय जिला न्यायाधीश, जालोर

पीठासीन अधिकारी : हारून

दीवानी विविध प्रकरण संख्या : 01 / 2023 (C.I.S No.01/2023)

1— अखाराम पुत्र मोतीराम, निवासी हरियाली, तहसील सांचौर, जिला जालोर
2— गणेशाराम पुत्र जेठाराम, निवासी हरियाली, तहसील सांचौर, जिला जालोर
3— रावताराम पुत्र जेठाराम, निवासी हरियाली, तहसील सांचौर, जिला जालोर
4— लाखाराम पुत्र जेठाराम, निवासी हरियाली, तहसील सांचौर, जिला जालोर (राजस्थान)

—— प्रार्थीगण

विरूद्व

1— भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली जरिए परियोजना निदेशक, परियोजना क्रियान्वयन ईकाई, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, 148 उम्मेद हेरीटेज, रातानाड़ा, जोधपुर (राज.)
2— जिला कलेक्टर (मध्यस्थ) जालोर, तहसील व जिला जालोर (राजस्थान)
3— सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) उपखण्ड अधिकारी, सांचौर, तहसील सांचौर, जिला जालोर (राजस्थान)

—— अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 34 मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 विरूद्ध निर्णय व पंचाट दिनांक 25.08.2022 प्रकरण संख्या 13 / 2021 (अखाराम वगै. बनाम सक्षम प्राधिकारी एवं उपखंड अधिकारी सांचौर वगैरा) जो जिला कलेक्टर (मध्यस्थ) जालोर द्वारा पारित किया गया है को अपास्त किये जाने हेतु

उपस्थिति :
1. श्री केशव व्यास, अधिवक्ता, प्रार्थी की ओर से
2. श्री जगदीश गोदारा, अधिवक्ता, अप्रार्थी सं.1 की ओर से
3. अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांकः 19.08.2023

1. प्रार्थीगण अखाराम, गणेशाराम, रावताराम व लाखाराम द्वारा यह अपील प्रार्थनापत्र अप्रार्थीगण के विरूद्ध अंतर्गत धारा 34 मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 के तहत जो कि जिला कलेक्टर (मध्यस्थ) जालोर द्वारा निर्णय व पंचाट दिनांक 25.08.2022 प्रकरण संख्या 13 / 2021 अखाराम वगै. बनाम सक्षम प्राधिकारी एवं उपखंड अधिकारी सांचौर वगैरा में पारित किया गया को अपास्त किये जाने हेतु दिनांक 22.11.2022 को इस न्यायालय में पेश किया है।

2. प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि राजस्थान के जालोर जिले के तहसील सांचौर के ग्राम हरियाली के खसरा नंबर 89 रकबा 2.34 हैक्टर किस्म चाही दोयम जाव दोयम, खसरा नंबर 575 रकबा 6.46 हैक्टर किस्म बारानी सोयम, खसरा नंबर 637 रकबा 7.21 हैक्टर किस्म बारानी सोयम, कुल खसरा 3 का कुल रकबा 16.01 हैक्टर की आयी हुई है जिसमें अखाराम पुत्र मोतीराम का 1/2 हिस्सा एवं गणेशाराम, रावताराम व लाखाराम पि. जेठाराम का 1/2 हिस्सा आता है। उक्त सामलाती खातेदारी भूमि खसरा नंबर 637 रकबा 7.21 हैक्टर किस्म बारानी सोयम में से 0.1870 हैक्टर व 1.1368 हैक्टर अर्थात् कुल 1.3238 हैक्टर प्रार्थीगण की आराजी अप्रार्थी संख्या 1 ने जरिये अप्रार्थी सं.3 के भारतमाला परियोजना के अंतर्गत इकॉनोमिक कॉरिडोर अमृतसर–कांडला परियोजना के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 754के के कि.मी. 547.243 कि.मी. से 577.193 सांचौर कि.मी. तक चार लेन मय पेव्ड शोल्डर के निर्माण के लिये राजस्थान के जालोर जिले के सांचौर तहसील के हरियाली गांव में भूमि अवाप्त की प्रक्रिया आरम्भ की गयी। आराजी का विवरण निम्न प्रकार हैः–

ख.नं.	**कुल रकबा**	**अवाप्तशुद हिस्सा**	**भूमि की दर**	**भूमि का कुल मुल्य**
637	7.21	0.1870 है.	48.2013	90136
637	7.21	1.1368	48.2013	547952

प्रार्थीगण की उक्त भूमि के पास ही तैतरोल गांव आया हुआ है जो नर्बदा परियोजना का मुख्य केन्द्र है जहां सन् 2011 में सरकार ने 5,25,000 रूपये प्रति बीघा के हिसाब से मुआवजा दिया था। यह स्वीकृति वित्त विभाग की आई.डी. सं. 101102154 दिनांक 28.06.2011 से अनुमोदित है। जबकि आज 9 वर्ष से अधिक समय बित जाने के बावजूद भी हरियाली गांव की डीएलसी दर प्रति बीघा 77123/–रूपये बताई है जो बहुत कम है जबकि हरियाली गांव से नर्बदा नहर की भूमि अवाप्ति प्रार्थीगण की भूमि से भी की गई है इसलिये प्रार्थीगण को बाजार मूल्य 5,25,000 रूपये प्रति बीघा के हिसाब से दिया जाना चाहिये था तथा उसमें 5,25,000 रूपये पर प्रति वर्ष 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जानी चाहिये थी जिससे वर्ष 2019 में जब भूमि अवाप्ति का अवार्ड जारी हुआ उसमें डीएलसी दर 5,25,000 व 4,72,500 यानि कुल 9,97,500 रूपये अर्थात करीब 10 लाख रूपये प्रति बीघा के हिसाब से बाजार भाव हरियाली ग्राम हा होना चाहिये था जो कि नहीं दिया गया है। इस प्रकार प्रार्थीगण के साथ भेदभादपूर्ण व्यवहार किया गया है।

3. प्रार्थनापत्र में आगे बताया कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 की उपधारा ए के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना दिनांक 05.06.2018 को जारी कर अधिनियम 1956 के अधीन शक्तियों का पालन करने के लिए उपखंड अधिकारी सांचौर को सक्षम प्राधिकारी(भूमि अवाप्ति)(सीएएलए) नियुक्त किया तथा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए की उपधारा (1) के तहत एक अधिसूचना क्रमांक 4087(अ) दिनांक 20.08.2018 (दिनांक 23. 08.2018 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित) को जारी कर भूमि अर्जन की घोषणा की गई। उक्त अधिसूचना 20.08.2018 की अनूसची में जालोर जिले के सांचौर कस्बे के गांव हरियाली के क्रमांक 63 पेज संख्या 17 पर प्रार्थीगण की भूमि खसरा नंबर 637 कुल रकबा 7.21 हैक्टर में से 0.1870 हैक्टर व 1. 1368 हैक्टर अर्थात् 1.3238 हैक्टर किस्म बारानी सोयम को अवाप्त करना प्रस्तावित किया जाना दर्शाया गया।

4. प्रार्थनापत्र में आगे बताया कि दिनांक 07.09.2018 को राजस्थान पत्रिका तथा दैनिक भास्कर अखबार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित कर भूमि अवाप्ति प्रयोजन बाबत् 21 दिन के भीतर आक्षेप मांगे गए जिसके विरूद्ध प्रार्थीगण ने दिनांक 18.09.2018 को एतराज पेश कर भूमि अवाप्त नहीं करने का निवेदन किया परन्तु प्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही प्राप्त समस्त 379 आपत्तियों को एक ही निर्णय से दिनांक 05.07.2019 को अप्रार्थी संख्या 3 ने खारिज कर रिपोर्ट अप्रार्थी संख्या 1 को अग्रेषित कर दी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 05.08.2019 को 1956 के अधिनियम की धारा 3डी के तहत घोषणा कर दी जिसका गजट प्रकाशन दिनांक 06 अगस्त 2019 को हुआ। इस अधिसूचना के साथ जारी अनुसूचि में प्रार्थीगण का नाम अखाराम पुत्र मोतीराम, गणेशाराम, रावताराम, लाखाराम पि. जेठाराम की भूमि खसरा नं. 637 का विवरण क्रमांक 361 पेज नंबर 48 पर अंकित है। धारा 3डी(1) की घोषणा के बाद प्रार्थीगण ने अपनी भूमि खसरा नंबर 637 अवाप्त भूमि 0.1870, 1.3268 कुल रकबा 1.3238 हैक्टर व परिसम्पत्तियां इत्यादि के प्रतिहर क्लेम बाबत् एक विस्तृत प्रार्थनापत्र दिनांक .2019 को सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) उपखंड अधिकारी सांचौर को मय दस्तावेजों सबूतों के पेश किया। सक्षम प्राधिकारी द्वारा ग्राम हरियाली की अवाप्तिधीन भूमि के क्लेम बाबत् प्राप्त अभ्यावेदनों का अपने एवार्ड क्रमांक 2175 दिनांक 21.11.2019 में दिनांक 27.08.

2019 से दिनांक 09.09.2019 तक सुनवाई कर आदेश दिनांक 13.11.2019 को पारित कर निस्तारण करना अंकित किया परन्तु आदेश दिनांक 13.11.2019 में प्रार्थीगण के प्रकरण का कोई उल्लेख नहीं है।

5. प्रार्थनापत्र में आगे बताया कि अवाप्त की गई भूमि खसरा नंबर 637 में खेजडी, बबूल व नीम के पेड़ खड़े थे, अनार की क्यारियां लगी थी जिससे भी 100000 रूपये का नुक्सान हुआ वो भी नुकसान अदा नहीं किया गया वो दिलाया जावे। सक्षम प्राधिकारी ने प्रार्थीगण के क्लेम की गहन जॉच किए बिना ही मनमाने तरीके से उप पंजीयक सांचौर से दिनांक 20.08.2018 को प्रचलित जिला स्तरीय समिति (डी.एल.सी.) की निर्धारित दरों के आधार पर भूमि का मूल्यांकन 135204 रूपये व 821928 रूपये प्रति हैक्टर की दर से कर दिनांक 21.11.2019 को अवार्ड बिना अन्य जॉच के पारित कर दिया। उक्त भूमि अवाप्ति अवार्ड दिनांक 21.11.2019 से व्यथित होकर एक प्रार्थनापत्र दिनांक 24.06.2021 को जिला कलेक्टर (मध्यस्थ) जालोर के समक्ष प्रतिकर का सही निर्धारण कर मुआवजा बढ़ाकर देने बाबत् पेश किया जो आवेदन पत्र जिला कलेक्टर द्वारा दिनांक 25.08.2022 को खारिज कर दिया तथा सक्षम प्राधिकारी के अवार्ड दिनांक 21.11.2019 का अनुमोदन कर दिया।

6. प्रार्थीगण ने प्रार्थनापत्र में आगे बताया कि विद्वान एकल मध्य द्वारा पारित निर्णय व पंचाट मध्यस्थ व सुलह अधिनियम 1996, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956, भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनः व्यवस्थापन में उचित प्रतिफल और पारदर्शित अधिकार अधिनियम 2013 तथा भारतीय संविधान 1950 के प्रावधानों के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य है। प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि जिला कलेक्टर (मध्यस्थ) मध्यस्थ अधिकरण जालोर द्वारा प्रकरण संख्या 13 / 21 अखाराम वगैरह बनाम सक्षम प्राधिकारी वगैरा में पारित निर्णय एवं पंचाट दिनांक 25.08.2022 को अपास्त किया जाए तथा सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) उपखंड अधिकारी सांचौर द्वारा पारित भूमि अवाप्ति अवार्ड क्रमांक 2175 दिनांक 21.11. 2019 को अपास्त किया जाए। इस आवेदन के पैरा संख्या 13(एम),(एन) व (ओ) में अंकित मांग विवरण अनुसार मांगी गई राशि अप्रार्थीगण से दिलाई जाए। तथा प्रार्थनापत्र का खर्चा अप्रार्थीगण से दिलाया जावे।

7. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से प्रार्थनापत्र का जवाब पेश कर अभिकथन किया गया कि प्रार्थीगण ने जिन तथ्यों का उल्लेख करते हुए जो प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है जो प्रस्तुत किये जाने योग्य नहीं है। प्रार्थीगण ने अवाप्त भूमि के लिए अकेले बेचान दस्तावेज दिनांक 29.06.2018 व तेतरोल में अवाप्त भूमि

में वर्णित दर से प्रतिकर दिलाये जाने हेतु गलत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण ने अवाप्त रकबे से बाहर बची भूमि के लिए मुआवजे की अनुचित मांग की है जबकि धारा 26 भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुनः व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार 2013 में दस्तावेज में दर्ज दर के आधार पर भूमि का बाजारू मूल्य अवधारण नहीं किया जा सकता है। उक्त धारा 26(1) के प्रावधानों के अनुसार जिला स्तरीय मूल्यांकन समिति द्वारा निर्धारित दर से ही बाजार मूल्य अवधारण किये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा अवाप्त भूमि का मूल्य अवधारण करके उचित एवार्ड पारित किया गया है जिससे अधिक राशि प्राप्त करने का प्रार्थी अधिकारी नहीं है। प्रार्थी ने अवाप्त भूमि से बाहर के रकबे के लिए भी प्रतिकर की मांग की जो सरासर गलत एवं अनुचित है जबकि उक्त रकबा अवाप्ति में लिया भी नहीं गया है तब उसका मुआवजा नहीं दिलाया जा सकता है। प्रार्थीगण को समुचित सुनवाई का अवसर दिये बिना उसकी आपत्तियां दिनांक 05.07.2019 को खारिज करने का तथ्य पूर्णतया गलत है तथा अस्वीकार है। सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं जिला कलेक्टर जालोर ने अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार प्रतिकर राशि के निर्धारण को आधार मानकर जिला स्तरीय मूल्यांकन समिति द्वारा निर्धारित दर से बाजार मूल्य को तय किया है। सक्षम अधिकारी ने अवाप्त भूमि का एवार्ड भूमि अर्जन अधिनियम 2013 में निर्धारित मापदंडों के अनुसार तय किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 30 के तहत मल्टीपल फेक्टर 2 गुणक के हिसाब से मांगा गया है जबकि संयुक्त शासन सचिव राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान जयपुर की अधिसूचना कमांक प(3) राज.6/2011 पार्ट 26 जयपुर दिनांक 14.06.2016 के अनुसार अवाप्त की जा रही भूमि शहरी सीमा क्षेत्र के अंतिम बिन्दु रेडियल दूरी के अनुसार 10 कि.मी. के भीतर होने से ग्राम हरियाली के लिए फेक्टर 1.50 लागु है तथा उसी अनुसार मुआवजा निर्धारित किया गया है। प्रार्थीगण ने आपत्ति दर्ज करवाई उस समय मौके पर जांच कर सक्षम प्राधिकारी द्वारा सही मुआवजा का निर्धारण किया गया है। प्रार्थीगण किसी भी प्रकार का मुआवजा प्राप्त करने को अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र मय हर्जे खर्चे खारिज करने का निवेदन किया।

8. अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से प्रार्थनापत्र का जवाब पेश किया जाकर अभिकथन किया गया कि निर्धारित अवधि में कुल 379 आपत्तियां प्राप्त हुई जिसको रिकॉर्ड पर लिया जाकर समस्त आपत्तियों की सुनवाई की जाकर

दिनांक 05.07.2019 को निरस्तारण कर परियोजना निदेशक भा.रा.रा.प्रा. जोधपुर को प्रेषित किया गया। उप पंजीयक सांचौर द्वारा कुल 19 ग्रामों की दिनांक 13. 02.2018 को अनुमोदित डीएलसी जो दिनांक 20.08.2018 को प्रभावी थी उपलब्ध करवाने पर उक्त तिथि को प्रभावी बाजार मूल्य (डीएलसी) से भूमि का दिनांक 21.11.2019 को मुआवजा पारित किया गया एवं उक्त भूमि पर विद्यमान पेडों एवं संरचना का सर्वे करवाकर पृथ्क से मुआवजा पारित किया गया। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 28.12. 2017 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए की अधिसूचना दिनांक 20.08.2018 से 21.11.2019 तक कुल 458 दिनों का 12 प्रतिशत से ब्याज (अतिरिक्त राशि) दिया गया है। अवाप्ताधीन भूमि में स्थित संरचनाएं एवं वृक्षों का सर्वे कर अलग से अवार्ड पारित किया गया है। सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) उपखंड अधिकारी सांचौर द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 754के में अवाप्ताधीन भूमि एवं उस पर विद्यमान परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत समस्त प्रक्रिया संपादित कर विधि अनुरूप अवार्ड पारित करने से जिला कलेक्टर द्वारा आरबीटेशन प्रार्थनापत्र को दिनांक 25.08.2022 को खारिज किया गया। उन्होंने प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र खारिज करने की प्रार्थना की।

9. बहस पक्षकारान सुनी गयी व पत्रावली का अवलोकन किया गया।

10. चूँकि इस केस में एक कानूनी प्रारम्भिक बिन्दु कि क्या यह याचिका इस न्यायालय में चलने में मौजूदा प्रारूप में पोषणीय है से संबंधित है इसलिए उस प्रारम्भिक बिन्दु पर बहस सुनी गयी। हालांकि दोनों विद्वान अधिवक्तागण ने केस के गुणावगुण पर अपने– अपने तर्क प्रस्तुत किये हैं। लिखित में तर्क भी प्रस्तुत किये जिनको शामिल पत्रावली किया गया जो उनके पीटीशन पर लिये गये आधार के अनुरूप है जिसमें मुख्य बिन्दु एवार्ड की राशि सक्षम अधिकारी द्वारा कम देना बताया गया है। अपने तर्कों के समर्थन में प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

1– सिविल अपील नंबर 3478 / 2022 भारत संचार निगम लिमिटेड बनाम मैसर्स नेमीचंद दामोदरदास व अन्य निर्णय दिनांक 11.07.2022 (माननीय सर्वोच्च न्यायालय)

2–सिविल अपील नंबर 4005 / 2012 मेहरवाल खेवाजी ट्रस्ट (रजि.) बनाम पंजाब राज्य निर्णय दिनांक 27.04.2012 (माननीय सर्वोच्च न्यायालय)

3– सिविल अपील नंबर 9734 / 2003 पन्नालाल घोस बनाम लैण्ड ऐक्वीजेशन कलेक्टर वगैरह निर्णय दिनांक 12.12.2003 (माननीय सर्वोच्च

न्यायालय)

4– सिविल अपील नंबर 6986 / 1999 सीमेंट कॉरपरेशन ऑफ इंडिया बनाम पुरीया व अन्य निर्णय दिनांक 07.10.2004 (माननीय सर्वोच्च न्यायालय)

5– एफ.ए.नंबर 467 / 2019 अम्बुभाई नाराण भाई पटेल बनाम नेशल हाईवे ऑथिरिटी ऑफ इंडिया व अन्य निर्णय दिनांक 14.10.2019 (माननीय गुजरात उच्च न्यायालय)

6– एफ.ए.नंबर 321 / 2018 गोपाल शाह बनाम झारखंड राज्य निर्णय दिनांक 21.10.2020 (माननीय झारखंड उच्च न्यायालय)

7– सिविल अपील नं. 6965–6966 / 2009 National Highway Authority v/s Sayedabad Tea Company Ltd And Ors निर्णय दिनांक 27 अगस्त, 2019 (माननीय उच्चतम न्यायालय)

11. उक्त न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन किया। प्रार्थीगण ने यह याचिका धारा 34 मध्यस्था एवं सुलह अधिनियम 1996 के तहत पेश की है लेकिन कानूनी रूप से यह धारा 64 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिनियम अधिनियम 2013 के तहत enhancement याचिका प्रतीत होती है। चूँकि RFCTLARR ACT 2013 की धारा 64 के अनुसार ऐसा कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसने अधिनिर्णय को स्वीकार नहीं किया है, वह कलेक्टर को लिखित आवेदन द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगा कि कलेक्टर द्वारा उस मामले को चाहे उसका आक्षेप, यथास्थिति, भूमि के माप के प्रति, प्रतिकर की रकम के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति, जिसको वह संदेय है, अध्याय 5 व 6 के अधीन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन के अधिकारों के प्रति हो या हितबद्व व्यक्तियों के बीच प्रतिकर के प्रभाजन के प्रति हो, प्राधिकरण के अवधारण के लिए निर्दिष्ट कर दिया जाए। प्रार्थीगण ने शुरूआत में कलेक्टर के समक्ष धारा 18 की दरख्वाशत पेश की जिसको बाद में संशोधन कर धारा 64 RFCTLARR ACT 2013 की तथा प्रार्थना की थी जिसको जिलाधीश / जिला कलेक्टर, जालोर ने पक्षकारान को सुनकर दिनांक 25.08.2022 को यह कहकर खारिज कर दिया कि सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) उपखंड अधिकारी सांचौर द्वारा निर्धारित मुआवजा अवार्ड को उचित पाये जाने से अनुमोदन किया जाता है तथा आर्बिट्रेशन की प्रार्थना अस्वीकार की जाती है।

12. न्यायालय के समक्ष प्रारम्भिक बिन्दु यह है कि क्या कोई हितबद्व पक्षकार सीधे तौर पर न्यायालय में बिना कलेक्टर के रेफरेंस के अनुमोदन के

enhancement याचिका धारा 34 मध्यस्था एवं सुलह अधिनियम के प्रारूप में पेश कर सकता है?

13. प्रार्थीगण ने जिला कलेक्टर के यहां दरख्वाश्त में भी यह प्रार्थना नहीं की कि उनका रेफरेंस Authority के यहां भेजा जाए बल्कि भूमि अर्जन के संबंध में प्रतिकर राशि के लिए जिला कलेक्टर से दिनांक 21.11.2019 को पारित अवार्ड एवं दिनांक 06.11.2020 को पारित IInd Part को धारा 64 RFCTLARR ACT 2013 के तहत प्रतिकर बढ़ाने का निवेदन किया। अगर प्रार्थी बिना मध्यस्थ/पंच नियुक्त हुए भी कलेक्टर को आबिट्रेटर मानते हुए इस न्यायालय के समक्ष धारा 34 मध्यस्था एवं सुलह अधिनियम के तहत आपत्ति पेश करता है तो न्यायालय को धारा 34 मध्यस्था एवं सुलह अधिनियम में बहुत ही सीमित शक्तियां प्राप्त है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टांत MC Dermot International आईएनसी बनाम Burn Standard 2006 (9) एस.सी.सी. पेज 81 एवं ओ.एन.जी.सी. लिमिटेड बनाम वेर्स्टन जी.ओ. इंन्टरनेशनल 2014(9) एससीसी पेज 363 में सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि किसी भी अवार्ड को कानूनी दृष्टिकोण नहीं अपनाने पर, अवार्ड प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत होने पर, स्पष्ट रूप से अवैध होने पर या तथ्यों का आबिट्रेटर द्वारा जो निष्कर्ष निकाला जाना चाहिये था जो नहीं निकालकर दूसरा निष्कर्ष निकाला गया हो या अवार्ड विकृत होने पर अवार्ड को निरस्त किया जा सकता है लेकिन किसी भी सूरत में रिमांड नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसा कोई आधार प्रार्थीगण द्वारा अपनी याचिका में प्रार्थीगण ने नहीं लिये हैं और प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पेश लिखित बहस में भी ऐसा कोई आधार नहीं लिया गया है कि यह अवार्ड जिससे इसे धारा 34 मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996 की याचिका माना जाए। Enhancement धारा 64 RFCTLARR ACT के अंतर्गत जिलाधीश/जिला कलेक्टर को रेफरेंस के संबंध में आदेश देने की कोई प्रार्थना भी नहीं की। चूंकि यह याचिका खातेदारी की जमीन/गांव की जमीन नेशनल हाईवे बनाने के लिए अधिगृहित/एक्वार्ड की के संबंध में की गई है। अतः राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3G(5) के अंतर्गत यह प्रावधान है कि अगर सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित अवार्ड राशि के संबंध में किसी पक्षकार को यह राशि स्वीकार्य नहीं हो तो हितबद्व पक्षकार की प्रार्थना पर उचित राशि भारत सरकार द्वारा नियुक्त आर्बिट्रेटर द्वारा निर्धारित की जा सकेगी। धारा 3G(6) अनुसार उस पर मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 के

प्रावधान लागू होंगे। यद्यपि धारा 3जी, नेशनल हाईवे एक्ट 1956 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार यह पक्षकार के ऊपर निर्भर है कि वह भारत सरकार के द्वारा नियुक्त आर्बिट्रेटर के यहां अपने केस की सुनवाई चाहता है या धारा 64 के अनुसार धारा 52 व 53 के तहत Authority के समक्ष रेफरेंस चाहता है क्योंकि धारा 64 के तहत Composition of Authority जिला न्यायाधीश है।

14. प्रार्थी द्वारा अपनी याचिका को धारा 34 मध्यस्था एवं सुलह अधिनियम, 1996 के तहत दायर दायर किया गया है लेकिन इस संबंध में भारत सरकार ने कलक्टर को मध्यस्थ नियुक्त कर दिया हो और कलेक्टर ने मध्यस्थ के तौर पर उनके केस का निर्णय किया हो ऐसा कोई आदेश पत्रावली पर पेश नहीं किया और न ही ऐसा कोई गजट नोटिफिकेशन धारा 3G5 के अंतर्गत जारी हो पेश किया है जबकि यह निर्विवादित है कि प्रार्थी ने जिला कलेक्टर के समक्ष धारा 64 RFCTLARR ACT 2013 के अंतर्गत प्रार्थनापत्र पेश किया था जिसको जिला कलेक्टर/जिलाधीश ने खारिज कर दिया।

15. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी यह बताने में सक्षम नहीं हो पाये हैं कि उनकी याचिका धारा 34 में किस आधार पर बनती है जबकि अवार्ड हेतु सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति)उपखंड अधिकारी, सांचौर को नोटिफिकेशन दिनांक 05.06.2018 से नियुक्त किया है और उसके द्वारा दिनांक 21.11.2019 को अवार्ड पारित किया गया है।

16. प्राधिकरण को रेफरेंस धारा 64 RFCTLARR ACT 2013 के अंतर्गत भेजने की शक्तियां कलेक्टर को है जिसके अनुसार हितबद्व पक्षकार के लिखित आवेदन प्राप्त होने पर आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर समुचित प्राधिकारी को निर्देश करेगा परन्तु जहां कलेक्टर ऐसा निर्देश इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि करने में असफल रहता है, वहां आवेदक, यथास्थिति, प्राधिकरण को उससे यह अनुरोध करते हुए आवेदन कर सकेगा कि कलेक्टर को 30 दिन की अवधि के भीतर उसे निर्देश करने का निदेश दिया जाए। प्रार्थी द्वारा अवार्ड दिनांक 21.11.2019 के विरूद्ध प्रार्थनापत्र दिनांक 06.07.2021 को पेश किया।

17. जिला कलेक्टर ने प्रार्थनापत्र दिनांक 25.08.2022 को खारिज कर दिया और प्रार्थी द्वारा हस्तगत याचिका जिसको धारा 34 मध्यस्था एवं सुलह अधिनियम 1996 का प्रारूप तैयार कर पेश किया गया है जिसमें ऐसी कोई प्रार्थना प्रार्थी द्वारा नहीं की गई कि यह Authority (प्राधिकरण) कलेक्टर को कोई निर्देश देवे। प्रार्थी द्वारा कलेक्टर के आदेश के विरूद्व जिसके द्वारा रेफरेंस

भेजने का आदेश नहीं दिया के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में चाराजोही भी नहीं की है। इस न्यायालय को धारा 64 में कलेक्टर के बिना रेफरेंस के आदेश पारित करने की शक्तियां प्राप्त नहीं है क्योंकि धारा 65 RFCTLARR ACT 2013 में प्राधिकरण की जानकारी के लिए जो आधार दिये गये हैं वे कलेक्टर द्वारा ही उपलब्ध करवाये जायेंगे और उसके बाद धारा 69 में प्राधिकरण द्वारा धारा 26 से 30 और अध्याय 5 के अधीन के उपबंधों के अधीन मापदंडों का पालन किया जाकर अवार्ड पारित किया जाता है।

18. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत **सिविल अपील नं. 6965–6966 / 2009 National Highway Authority v/s Sayedabad Tea Company Ltd And Ors निर्णय दिनांक 27 अगस्त, 2019** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तीन संवैधानिक पीठ ने यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि मध्यस्थ को नियुक्त करने की शक्तियां धारा 3जी5 के अंतर्गत भारत सरकार को है तथा याचिका धारा 11(6) मध्यस्था एवं सुलह अधिनियम, 1996 के अंतर्गत याचिका पोषणीय नहीं है जिससे मै पूर्ण रूप से सहमत हूॅ। प्रार्थीगण द्वारा भारत सरकार को कोई प्रार्थनापत्र मध्यस्थ नियुक्त करने के संबंध में पेश किया हो ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है तथा कोई मध्यस्थ भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया गया हो ऐसा भी कोई आदेश पेश नहीं किया गया है बल्कि जिस तरीके की कार्यवाही कलेक्टर के यहां की गई उससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण को स्वयं को ही यह पता नहीं है कि उसने कलेक्टर के यहां चाराजोही राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के अंतर्गत की या RFCTLARR ACT 2013 के अंतर्गत रेफरेंस के संबंध में की। कलेक्टर के यहां प्रार्थनापत्र पेश करने से यह प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण ने RFCTLARR ACT 2013 के तहत उचित प्रतिकर पाने के लिए बढ़ोतरी याचिका पेश की जिसको सुनने की शक्तियां कलेक्टर के पास नहीं है। कलेक्टर के आदेश को इस न्यायालय में बतौर मध्यस्थ के पंच अवार्ड के तौर पर धारा 34 मध्यस्था एवं सुलह अधिनियम, 1996 के तहत चैलेंज किया जो मान्य नहीं है।

19. अतः उपरोक्त विवेचन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचा हूॅ कि यह याचिका दोषपूर्ण प्रकृति की है तथा सीधे तौर पर इस न्यायालय में पोषणीय नहीं है। अतः प्रार्थीगण की याचिका खारिज की जाती है।

(हारून)
जिला न्यायाधीश
जालोर

20. निर्णय आज दिनांक 19.08.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हारून)
जिला न्यायाधीश
जालोर